पत्र सं०–6 एस०एस०(6)34 / 2019–2096 /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा : * आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना–15, दिनांक–......04 / 05.. / 2026.

विषय– राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य कृषकों के राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में मत्स्य प्रसार योजना के तहत कुल ₹ 46.50 लाख (छियालीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–2051, दिनांक–08.05.2025 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य योजनान्तर्गत मत्स्य कृषकों के राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में मत्स्य प्रसार योजना के तहत कुल ₹ 46.50 लाख (छियालीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र की लागत पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I, II एवं III के रूप में संलग्न।

2. राज्य के मत्स्य कृषकों को भ्रमण दर्शन कार्यक्रम के द्वारा मात्स्यिकी के नवीनतम तकनीक से अवगत कराना है ताकि वे प्रेरित होकर इस तकनीक को अंगीकार करते हुए अपने–अपने जलस्रोतो में लागू करते हुए लाभान्वित हो सकेगें। साथ ही, इस योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि हो सकेगी, रोजगार के नये अवसर के सृजन तथा मत्स्य पालको के वार्षिक आय में भी बढ़ोतरी हो सकेगी।

3. इस योजनान्तर्गत 3000 मत्स्य कृषकों को राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कराया जायेगा। इस पर कुल ₹ 46.50 लाख (छियालीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र व्यय होने का अनुमान है। योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

4. योजना के क्रियान्वयन का संक्षिप्त विवरण :–

(क) राज्य के अंदर मत्स्य कृषकों का भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अंदर ही विभिन्न जिलों में विकसित आर्द्रभूमि (चौर) प्रक्षेत्रों (जिसमें चौर विकास एवं समेकित मत्स्य पालन आदि शामिल हो), केज में मत्स्य पालन, विकसित मत्स्यबीज हैचरी प्रक्षेत्र, फिश फीड मिल, बायोफ्लॉक एवं आर०ए०एस० तकनीकी आदि विकसित मत्स्य प्रक्षेत्रों का भ्रमण दर्शन कराना है ताकि किसान अपने जिलों में भी इसका अनुकरण कर नवीनतम तकनीक से मत्स्य पालन कर सकें। इससे न केवल मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि हो सकेगी बल्कि उनके वार्षिक आय में भी बढ़ोतरी होगी तथा कृषकों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक होगा।

(ख) भ्रमण दर्शन की योजना राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जायेगी।

(ग) इस कार्यक्रम के तहत राज्य के कुल 3000 मत्स्य कृषकों को 150 बैचों (20 मत्स्य कृषक प्रति बैच) में मत्स्य प्रक्षेत्रों आदि का एक दिवसीय भ्रमण दर्शन कराया जायेगा।

(घ) इस योजना के तहत जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को मत्स्य कृषकों के भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु 0.31 लाख रुपया प्रति बैच उपलब्ध कराया जायेगा। परंतु उपलब्ध कराया गया 0.31 लाख रुपया प्रति बैच अथवा वास्तविक व्यय प्रति बैच, दोनो में से जो भी राशि न्यूनतम होगी की व्यय हेतु अनुमान्यता होगी।

(ड) इस प्रकार पूरे भ्रमण दर्शन कार्यक्रम पर अधिकतम कुल ₹ 46.50 लाख (छियालीस लाख पचास हजार) रुपये मात्र व्यय होने की संभावना है, (विस्तृत व्यय विवरणी एवं जिलावार लक्ष्य की विवरणी अनुलग्नक–I, अनुलग्नक–II एवं अनुलग्नक–III के रूप में संलग्न)।

(च) मत्स्य कृषक राज्य के अंदर भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु निबंधन शुल्क के रुप में 100 रुपया प्रति कृषक के दर से अपने जिले के जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करेंगे। निबंधन के रुप में प्राप्त राशि प्रक्रियानुसार/नियमानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा राज्य कोष में जमा की जाएगी। निबंधन के उपरांत लाभुकों के द्वारा भ्रमण दर्शन कार्यक्रम में भाग नहीं लेने पर निबंधन रद्द कर निबंधन शुल्क राशि जब्त कर ली जाएगी।

(छ) राज्य के अंदर क्षेत्रीय भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु भाड़े पर ली गई वाहन के किराया का भुगतान बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप अथवा वास्तविक किराया दोनो में से जो न्यूनतम होगा की अनुमान्यता होगी। इस हेतु प्रति बैच अधिकतम 15000 (पन्द्रह हजार) रुपया प्रति दिन (जी०एस०टी० एवं टॉल टैक्स सहित) प्रति बैच प्रति कार्यक्रम व्यय हेतु अनुमान्य होगी।

(ज) भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अपना जिला सहित अन्य जिलों में विकसित आर्द्रभूमि प्रक्षेत्रों (जिसमें चौर विकास एवं समेकित मत्स्य पालन आदि शामिल हो) बायोफ्लॉक इकाई, विकसित मत्स्य प्रक्षेत्रों, केज में मत्स्य पालन, विकसित मत्स्यबीज हैचरी प्रक्षेत्र, फिश फीड मिल, आदि का चयन करेंगे तथा रूट चार्ट इस प्रकार तैयार करेंगे ताकि कम से कम दो इकाईयों का भ्रमण हो सके। ऐसी स्थिति में चिन्हित इकाईयों के मालिक/संचालक को 100 रूपये प्रति लाभुक तथा दो से अधिक हो तो उन्हें समानुपातिक राशि प्रति लाभुक के दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जायेगा ताकि वे लाभार्थियों को अच्छी तरह से तकनीकी जानकारी की बारीकियों को बता एवं दिखा सके। जिला मत्स्य पदाधिकारी इन चिन्हित इकाईयों को स्वयं जाँचोपरांत चयनित करते हुए पंजीकृत करेंगे तथा उक्त कार्यक्रम हेतु चयन किये जाने का पत्र मालिक/संचालक को देना सुनिश्चित करेंगे। पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि चयनित इकाई के मालिक/संचालक भ्रमणार्थियों को सही ढ़ंग से भ्रमण कराते हुए, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही मात्स्यिकी क्रिया–कलाप की बारीकियों से अवगत कराएगें। चयनित इकाईयों के मालिक/संचालक को दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि सम्बन्धित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी निर्धारित दर से राशि का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके बैंक खाता में करेंगे। भ्रमणोपरान्त, भ्रमणार्थियों से लिखित फीड बैक लिया जायेगा जिसके आधार पर संबंधित चयनित इकाई की सेवा आगे जारी रखने पर निर्णय, जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लिया जा सकेगा। फीड–बैक का समेकित 'सार' प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बेहतर सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे प्रगतिशील कृषकों (इकाई के मालिक/संचालक) को चिन्हित कर प्रशस्ति पत्र/प्रतीक चिन्ह आदि दी जा सकेगी। भोजन मद हेतु कर्णांकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सीधे लाभुक को उपलब्ध कराया जाएगा।

(झ) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा ही अपने जिले के लाभर्थियों तथा एक या अधिकतम दो विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी (संविदा सहित) प्रति बैच को चयनित भ्रमण दर्शन स्थल तक जाने एवं वापस आने का किराया पर ली जाने वाली भाड़े की बस का आरक्षण किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी के यात्रा की अलग से स्वीकृति आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। उनके (विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारी) भोजन एवं यात्रा–भत्ता का भुगतान उनके वेतन शीर्ष के तहत प्रशिक्षण व्यय मद अथवा यात्रा व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाएगा।

(ञ) योजना के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी रूप में यदि राज्य सरकार के बिहार राज्य पर्यटन निगम/बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा निर्धारित बस भाड़ा/किराया में बढ़ोत्तरी की जाती है तथा अपरिहार्य कारणवश जैसे प्राकृतिक आपदा (बाढ़, सुखाड़, महामारी, भूकम्प, अतिवृष्टि, आदि), आपातकाल, चुनाव अथवा चयनित इकाई के मालिक/संचालक के द्वारा पूर्व निर्धारित भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की तिथियों कों परिवर्तन/रद्द करने के फलस्वरूप यदि आरक्षित किराया के बस रद्द करना पड़े तो दोनों स्थितियों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य

कार्यपालक पदाधिकारी अपने उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र) अथवा निदेशक, मत्स्य से अनुमोदनोपरांत योजनान्तर्गत स्वीकृत/आवंटित राशि के अनुरूप भ्रमण दर्शन प्राप्त करने वाले मत्स्य कृषकों की संख्या/बैच में आवश्यकतानुसार अनुपातिक बदलाव कर सकेंगे। लेकिन व्यय की राशि स्वीकृत राशि के अन्दर ही सीमित रहेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विस्तृत ब्यौरा ससमय निदेशक, मत्स्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

5. लाभुकों का चयन :–

(क). इस योजनान्तर्गत लाभुकों का चयन हेतु निम्न पात्रता होगीः–

i. इच्छुक मत्स्य पालक जो निजी/पटट्ा पर अथवा सरकारी तालाब/जलकर में मत्स्य पालन कार्य कर रहे हो।

ii. इच्छुक कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हो तथा विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन समर्पित किया हो।

iii. प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सक्रिय सदस्य हो।

iv. ऐसे प्रगतिशील मत्स्य पालक जो विभागीय योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर मत्स्य पालन का कार्य कर रहें हो।

v. ऐसे कृषक जो मत्स्य पालन करना चाहते हो तथा उनके पास समुचित मत्स्य संसाधन उपलब्ध हो।

vi. लाभार्थी का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवयव विशेष हेतु लाभार्थी का पुनरावृति न हो।

(ख) इस भ्रमण दर्शन कार्यक्रम हेतु लाभुको का चयन मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात विभागीय वेबसाईटः http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन (Online) के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा।

(ग) समाचार पत्रों में सूचना/विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात् विभागीय पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन पूर्ण आवेदन पत्रों को जिला मत्स्य पदाधिकारी सूचीबद्ध करते हुए संधारित करेंगे।

(घ) भ्रमणदर्शन हेतु ऑनलाईन पोर्टल हमेशा खुली रहेगी। प्रत्येक माह का आखिरी तिथि कट–ऑफ तिथि होगी। उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों को जाँचोंपरांत उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति से अनुमोदनोपरांत चयनित सूची पंजी में तिथिवार संधारित की जाएगी जिससे संभावित लाभार्थियों का एक सुरक्षित पूल तैयार हो सके।

(ड़) चयनित सूची पुल से ही वरीयता क्रम में ऊपर से लक्ष्य के अनुरूप भ्रमणदर्शन हेतु लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।

(च) लाभार्थियों के चयन हेतु उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्न रूप से किया जाता है –

1. उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र	– अध्यक्ष
2. जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	– सदस्य सचिव
3. मत्स्य प्रसार पदाधिकारी	– सदस्य
4. कनिय अभियंता	– सदस्य
5. मत्स्य विकास पदाधिकारी	– सदस्य

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित होगी जिसमें भ्रमण दर्शन/प्रशिक्षण हेतु इच्छूक लाभुकों का चयन योजनान्तर्गत प्रावधान के तहत किया जाएगा।

(छ). योजनान्तर्गत यदि दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में मत्स्य पालन के तकनीक में प्रशिक्षित/मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय से जुड़े आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ज). योजनान्तर्गत यदि दो या दो से अधिक पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में यदि दोनो या इससे अधिक आवेदक मत्स्य पालन के तकनीक में प्रशिक्षित/मत्स्य पालन/मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हों तथा सभी आवश्यक आर्हता पूर्ण करते हो तो, ऐसी स्थिति में जिला मत्स्य कार्यालय में पहले आवेदन समर्पित करने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

6. मत्स्य पालकों के इस पूरी भ्रमण दर्शन कार्यक्रम की योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार), मत्स्य प्रशिक्षण–सह–प्रसार केन्द्र, मीठापुर, पटना के द्वारा किया जायेगा तथा प्रत्येक माह उनके द्वारा प्रगति प्रतिवेदन एवं लाभुकों की सूची मत्स्य निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) अपने जिले से सम्बन्धित विहित प्रपत्र में भ्रमणोपरान्त मत्स्य पालको की सूची संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्रशिक्षण एवं प्रसार) को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. इस योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के अनुमति से निदेशक, मत्स्य के द्वारा आवश्यक संशोधन/दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

8. इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में होने वाले व्यय का विकलन माँग संख्या–02, मुख्य बजट शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–109 –विस्तार तथा प्रशिक्षण, उप शीर्ष–0102 –मत्स्य प्रसार योजना, विपत्र कोड 02-2405001090102 के अधीन विषय शीर्ष–0102.20.03 –प्रशिक्षण व्यय मद में उपबंधित राशि से होगा। इस कार्यक्रम हेतु समुचित बजट उपबंध उपलब्ध है।

9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) होंगे। निदेशक, मत्स्य इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

10. उक्त योजना के तहत यदि पूर्व की वैध राशि बकाया हो, तो ऐसी बकाया राशि का भी भुगतान इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जा सकेगा। परंतु ऐसे मामलों में सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने परिक्षेत्र के उप मत्स्य निदेशक से विधिवत अनुमति प्राप्त कर भुगतान किया जा सकेगा।

11. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

12. यह स्कीम एक चालू राज्य स्कीम है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका–6 एस०एस०(6)34/2019 के पृष्ठ–76/टि० एवं दिनांक–25.04.2026.

13. विभागीय संकल्प–1464, दिनांक–29.05.2019 का अनुपालन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)34/2019 के पृष्ठ संख्या–76/टि० डायरी क्रमांक–259, दिनांक–24.04.2026.

15. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34/2019– 2096 /पटना–15, दिनांक– 04/05/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

6. Typed by Sanjay Kumar

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34 / 2019– 2096 / पटना–15, दिनांक– 04 / 05 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा) / योजना एवं विकास विभाग / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34 / 2019– 2096 / पटना–15, दिनांक– 04 / 05 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / सभी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / सभी कनीय अभियंता / सभी मत्स्य विकास पदाधिकारी / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34 / 2019– 2096 / पटना–15, दिनांक– 04 / 05 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित मत्स्य निदेशालय के बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34 / 2019– 2096 / पटना–15, दिनांक– 04 / 05 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)34 / 2019– 2096 / पटना–15, दिनांक– 04 / 05 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–I

चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य कृषकों के भ्रमण दर्शन की योजना पर विपत्र कोड 02-2405001090102 के अन्तर्गत होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0102.20.03 –प्रशिक्षण व्यय	₹ 46.50	निदेशक मत्स्य/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सभी कोषागार, बिहार।
	योग :–	**₹ 46.50**		

कुल (छियालीस लाख पचास हजार) मात्र।

2096
04/05/26

3014

सरकार के संयुक्त सचिव

 Typed by Sanjay Kumar

अनुलग्नक–III

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मत्स्य प्रसार योजनान्तर्गत भ्रमण दर्शन कार्यक्रम से संबंधित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी।				
क्र0	जिला	भ्रमण दर्शन कार्यक्रम योजनान्तर्गत मत्स्य कृषकों (राज्य के अंदर)		
		भौतिक		वित्तीय
		बैच की संख्या	संख्या (प्रति बैच 20 मत्स्य कृषकों)	राशि (लाख)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	पटना	4	80	1.24000
2	भोजपुर	3	60	0.93000
3	बक्सर	3	60	0.93000
4	रोहतास	4	80	1.24000
5	कैमूर	4	80	1.24000
6	नालंदा	4	80	1.24000
7	गया	3	60	0.93000
8	जहानाबाद	3	60	0.93000
9	अरवल	3	60	0.93000
10	औरंगाबाद	4	80	1.24000
11	नवादा	3	60	0.93000
12	मुजफ्फरपुर	6	120	1.86000
13	वैशाली	5	100	1.55000
14	सीतामढ़ी	4	80	1.24000
15	शिवहर	3	60	0.93000
16	पूर्वी चम्पारण	6	120	1.86000
17	प0 चम्पारण	6	120	1.86000
18	सारण	3	60	0.93000
19	सीवान	4	80	1.24000
20	गोपालगंज	4	80	1.24000
21	सहरसा	3	60	0.93000
22	सुपौल	3	60	0.93000
23	मधेपुरा	3	60	0.93000
24	पूर्णियाँ	5	100	1.55000
25	अररिया	3	60	0.93000
26	किशनगंज	4	80	1.24000
27	कटिहार	4	80	1.24000
28	भागलपुर	4	80	1.24000
29	बाँका	4	80	1.24000
30	मुंगेर	3	60	0.93000
31	लखीसराय	3	60	0.93000
32	शेखपुरा	3	60	0.93000
33	जमुई	4	80	1.24000
34	खगड़िया	5	100	1.55000
35	बेगुसराय	4	80	1.24000
36	दरभंगा	6	120	1.86000
37	मधुबनी	6	120	1.86000
38	समस्तीपुर	4	80	1.24000
	कुल :–	**150**	**3000**	**46.50000**

2096
04/05/26

सरकार के संयुक्त सचिव